Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 23-05-2006

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

>

Title : Statement regarding status of implementation of National Rural Employment Guarantee Act – laid.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं-

एनआरईजीए की अधिसूचना - ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने की दृटि से एक अभिनव कानून की घोाणा करने के लिए सदन के मानसून सत्र 2005 में सर्वसम्मति से राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया गया था। इस अधिनियम की अधिसूचना 7 सितम्बर, 2005 में जारी की गयी थी।

एनआरईजीए की शुरूआत- माननीय प्रधान मंत्री ने 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश जिला अनंतपुर, ग्राम पंचायत बांडला पल्ली से एनआरईजीए की औपचारिक रूप से शुरूआत की थी। इस शुरूआत तथा सांविधिक अधिसचूना का तात्पर्य यह कि अधिसूचित जिलों में ग्रामीण परि वारों को यह अधिकार होगा कि वे अधिनियम के अंतर्गत रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति के रूप में अपनी ग्राम पंचायत में अपना नाम पंजीकृत करा सकें। ग्राम पंचायत समुचित सत्यापन के पश्चात परिवार का पंजीयन करेगी और पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी करेगी। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है और यह व्यक्ति विशेा को अधिनियम के अंतर्गत काम मांगने और काम की मांग किए जाने के 15 दिन के अंदर काम पाने का अधिकार प्रदान करता है।

आरंभिक चरण में एनआरईजीए की शुरूआत के लिए निर्धारित जिले -पहले चरण में राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (एनआरईजीए) के कार्यान्वयन के लिए 200 जिले निर्धारित किए गए हैं। 2.2.2006 से अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना 185 जिलों के संबंध में जारी कर दी गयी है। शेा 15 जिलों में 3 जिले जम्मू व कश्मीर के, और 12 जिले महाराट्र के हैं। मेघालय के 2 जिलों के संबंध में 14 मार्च, 2006 को अधिसूचना जारी की गयी थी और अधिनियम 1.4.2006 से लागू किया गया। यह अधिनियम धारा 1 (2) के प्रयोजन से जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं है। विधि और न्याय मंत्रालय की सलाह से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है जिसके अनुसार राज्य सरकार के पास दो विकल्प हैं। राज्य सरकार राज्य विधानमंडल में या तो अपना विधान पारित कर सकती है या एन.आर.ई.जी.ए अधिनियम को संशोधित करने और अधिनियम की धारा 1 (2) को हटाते हुए इसके प्रावधानों को जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करने के लिए केन्द सरकार से अनुरोध कर सकती है।

*Laid on the table and also placed in Library, See No. LT 4467/2006

महाराट्र राज्य में 1972 से पूरे राज्य के लिए अपना निजी रोजगार गारंटी अधिनियम है। राज्य सरकार ने अपने इस अधिनियम को संशोधित करने के निर्णय लिया है ताकि राज्य योजना में केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत कामगारों की पात्रता सुनिश्चित की जा सके। केन्द्र सरकार एनआरईजीए अधिनियम के अनुसार महाराट्र के 12 निर्धारित जिलों में व्यय में हिस्सेदारी करेगी। इस अधिनियम को 5 वर्ा की अवधि के भीतर पूरे देश में लागू किया जाएगा।

दिशा-निर्देश - राज्य सरकारों और विविध स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों के साथ पर्याप्त भागीदारीपूर्ण चर्चा करने के पश्चात परिचालन संबंधी अंतिम दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं और सभी राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। दिशा निर्देशों की हिन्दी प्रति भी छपायी गयी हैं और राज्यों को भेजी गयी हैं।

एनआरईजीए को कार्यान्वित करने की कार्रवाई - ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक रूप से किए जाने वाले कार्यों को दर्शाते हुए व्यापक अनुदेश जारी कर दिए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हें-

- जिलों में पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गयी है। सत्यापन के पश्चात जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

- सभी क्षेत्रों में संभावित लाभार्थियों को स्थानीय भााा में राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के बारे में व्यापक जानकारी दी जा रही है। इस प्रयोजनार्थ, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मल्टीमीडिया के जरिए जानकारी देने का अभियान और ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक जागरण का कार्य किया जा रहा है।

- अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के अंतर्गत उसकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और कर्मचारियों को जागरूक बनाने का कार्य राज्य सरकारों और एनआईआरडी द्वारा शुरू किया गया है। राज्यों को प्रशिक्षण के लिए 74 लाख रूपये रिलीज किए गए हैं।

- राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे डिजाइन, प्रौद्योगिकी, तकनीकी एवं वित्तीय अनुमान और सृजित रोजगार एवं परिसंपत्तियों के रूप में लाभदायक व्यवहार्य आदर्श कार्य वाली निर्माण कार्य नियमावली बनाएं।

- राज्यों ने मंत्रालय के अनुदेश पर प्रशासनिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने संबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सहायक, लगभग दस ग्राम पंचायतों के लिए एक तकनीकी सहायक तथा ब्लॉक स्तर पर लेखा, निर्माण कार्य और आईटी के लिए तीन सहायक के साथ एक पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी पूर्ण केन्द्रीय सहायता के साथ उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है। ये व्यक्ति संविदा, प्रतिनियुक्ति अथवा विभागीय कार्मिकों में से तैनात किए जायेंगे। व्यावसायिक अर्हता, दक्षता और अनुभव तथा पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर बल दिया गया है।

- राज्यों से कहा गया है कि वे ग्राम सभा, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के अनुमोदन से राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप एनएफएफडब्ल्यूपी के अंतर्गत बनायी जाने वाली भावी योजनाओं का अभिमुखीकरण करके आयोजना प्रक्रिया आरंभ करें।

- इस अधिनियम में राज्य सरकारों को अधिनियम को लागू किए जाने की तारीख से छह माह के भीतर रोजगार गारंटी योजना बनाने की अनुमति दी गयी है। राज्य सरकारें अब अधिनियम और दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के आधार पर योजनाएं तैयार कर रही हैं।

- एक कम्प्यूटरीकृत वेब समर्थित एमआईएस बनायी गयी है ताकि पारिवारिक स्तर से ही आंकड़ों को एकत्रित करने के कार्य को सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि सभी स्तरों पर नागरिकों को आंकड़े सुलभ हो सकें।

- मंत्रालय द्वारा गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के रूप में संसद सदस्यों की एनआरईजीए के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने में तथा यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि लाभार्थियों को उनके अधिकार उपलब्ध हों।

- क्षेत्र अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर के दौरों से और बाह्य राट्रस्तरीय तथा जिलास्तरीय निगरानीकर्ताओं ने क्षेत्र स्तरीय क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए फील्ड स्तर के दौरे आरंभ कर दिए हैं। 60 एनएलएम और 28 क्षेत्र अधिकारियों ने एनआरईजीए को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का दौरा किया है।

- कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं की सहायता के लिए जिलों को पर्याप्त निधियां रिलीज की गयी हैं। एनआरईजीए के कार्यान्वयन के लिए जिलों को चालू वित्त र्वा में 3776.57 करोड़ रूपए रिलीज किए गए हैं। र्वा 2005-06 और 2006-07 में रिलीज की गयी निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न है।

कार्यान्वयन स्थिति की रिपोर्टें - राज्यों से कहा गया है कि वे एनआरईजीए की कार्यान्वयन स्थिति के बारे में सूचित करें। कुछ राज्यों से प्र ाप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि पंजीकरण के लिए 2,44,77,877 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 170,89,915 जॉब कार्ड जारी किए गए। 7099834 लोगों ने रोजगार की मांग की है और 59,94,249 लोगों को रोजगार दिया गया है। 1,03,210 कार्य प्रगति पर हैं।